

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/.....1923

राँची, दिनांक-05/10/18

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-49(1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, मेदिनीनगर नगर निगम, मेदिनीनगर के अन्तर्गत वार्डों के वार्ड पार्षदों को शामिल करते हुए 07 (सात) क्षेत्रीय समितियों (Zonal Committees) का गठन निम्नरूपेण करते हैं:-

क्र०	क्षेत्रीय समिति की संख्या	संबंधित वार्ड	माननीय पार्षदों का नाम
1	1	1	श्री इन्द्रदेव राम
		2	श्रीमती सुशीला कुमारी
		3	श्रीमती शकुंतला देवी
		10	श्रीमती मधु देवी
		11	श्रीमती कविता देवी
2	2	4	श्री राजू राम
		5	श्रीमती नीरा देवी
		6	श्री मनोज प्रजापति
		7	श्री राजीव कुमार
3	3	8	श्री रौशन कुमार
		9	श्रीमती अहिल्या देवी
		12	श्री अनुप कुमार सिंह
		13	श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डये
4	4	14	श्रीमती नितु सिंह
		15	श्रीमती वर्षा सिंह
		16	श्रीमती हीरामणि तिकी
		17	श्री सुमित कुमार त्रिपाठी
		18	श्री विवेकानन्द त्रिपाठी
5	5	19	श्रीमती सुषमा कुमारी अहूजा
		23	श्री प्रदीप कुमार अकेला
		20	श्री निरंजन प्रसाद
		21	श्रीमती अंजना देवी
		22	श्री मनोज कुमार सिंह
6	6	24	श्रीमती जयश्री गुप्ता
		29	श्री नवीन कुमार गुप्ता
		25	श्रीमती निशा कुमारी
		26	श्रीमती नईमा बीबी
		27	श्रीमती कमर यासमिन
7	7	28	श्रीमती हसबुन निशा
		30	श्री कामेश्वर प्रसाद
		31	श्रीमती प्रमिला देवी
		32	श्रीमती अनिसा खातुन
		33	श्रीमती चंचला देवी
		34	श्रीमती अर्चना देवी
		35	श्रीमती जयन्ति

2. प्रत्येक क्षेत्रीय समिति का एक पृथक कार्यालय एवं एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्रीय समिति के वार्ड पार्षद स्वयं करेंगे।
3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल नगर निगम के समंतक होगा।
4. सभी समितियाँ नगरपालिका अधिनियम, की धारा-49 की उपधारा (6)(7)(9) एवं (10) के अधधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक-05/10/18

ज्ञापांक-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/.....4923

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक-05/10/18

ज्ञापांक-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/.....4923

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक-05/10/18

ज्ञापांक-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/.....4923

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल/उपायुक्त, पलामू/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/कार्यपालक पदाधिकारी, मेदिनीनगर नगर निगम/श्री कुणाल कुमार, आई०टी०विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।